

# भारतीय पथकर अधिनियम, 1851

## धाराओं का क्रम

### धाराएं

उद्देशिका ।

1. [निरसन] ।

1क. विस्तार ।

2. सड़कों तथा पुलों पर, कतिपय दरों पर, पथकर का उद्ग्रहण कराने तथा कलक्टर नियुक्त करने की शक्ति । कलक्टरों के उत्तरदायित्व ।

3. पथकर की वसूली की उनकी शक्तियां ।

अभिगृहीत सम्पत्ति का, शोधय रकम दे देने पर, छोड़ा जाना ।

4. पथकर के संदाय से छूट ।

5. पुलिस अधिकारियों द्वारा पथकर संग्राहकों की सहायता ।

6. अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्ति । व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर । उसके वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति ।

7. पथकर-सारणी तथा शास्तियों के विवरण का प्रदर्शन ।

8. पथकर के आगमों का उपयोग ।

अनुसूची ।

# भारतीय पथकर अधिनियम, 1851<sup>1</sup>

(1851 का अधिनियम संख्यांक 8)

[4 जुलाई, 1851]

सार्वजनिक सड़कों तथा पुलों पर पथकर के उद्ग्रहणार्थ  
सरकार को समर्थ बनाने के लिए  
अधिनियम

**उद्देशिका**—सड़कों तथा पुलों पर पथकर के उद्ग्रहणार्थ सरकार को समर्थ बनाना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [अधिनियमों का निरसन 1]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14), धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित।

2. [1क. विस्तार—इस अधिनियम का विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है, जो 4 जुलाई, 1851 को बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के सपरिषद् गवर्नर, बंगाल के उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के सपरिषद् लेफ्टिनेन्ट गवर्नर तथा फोर्ट सेंट जार्ज प्रेसिडेन्सी के सपरिषद् गवर्नर द्वारा प्रशासित थे।]

2. सड़कों तथा पुलों पर, कतिपय दरों पर, पथकर का उद्ग्रहण कराने तथा कलक्टर नियुक्त करने की शक्ति। कलक्टरों के उत्तरदायित्व—<sup>3</sup>[राज्य सरकार] किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जो 4[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के खर्चे पर] बनाया गया है या मरम्मत किया गया है, या इसके पश्चात् बनाया जाए या मरम्मत किया जाए, <sup>5</sup>\*\*\* पथकर ऐसी दरों से उद्ग्रहीत करवा सकेगी

<sup>1</sup> संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम सं० 14) द्वारा दिया गया।

यह अधिनियम भारतीय पथकर अधिनियम, 1864 (1864 का अधिनियम सं० 15) और भारतीय पथकर अधिनियम, 1888 (1888 का अधिनियम सं० 8) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

यह अधिनियम असम में 1931 के असम अधिनियम सं० 3 तथा 1932 के अधिनियम सं० 1 द्वारा, मध्य प्रान्त में 1932 के म० प्रा० अधिनियम सं० 8 द्वारा, मद्रास में 1938 के मद्रास अधिनियम सं० 6, 1942 के अधिनियम सं० 14 तथा 1950 के अधिनियम सं० 26 द्वारा संशोधित किया गया है।

इस अधिनियम के बारे में यह समझा जाता है कि वह पंजाब के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा 5 सितम्बर, 1888 को प्रशासित समस्त राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है और पंजाब के भाग के रूप में तत्समय प्रशासित राज्यक्षेत्रों में 21 अगस्त, 1857 से प्रवृत्त है।

1864 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 के अधीन इसका अजमेर और मेरवाड़ा पर विस्तार किया गया है; देखिए, गजट आफ इंडिया, 1889, भाग 2, पृष्ठ 562।

यह मध्य प्रांत में तथा संभलपुर जिले में मध्य प्रांत सी०पी० लाज ऐक्ट, 1875 (1875 का अधिनियम सं० 20) की धारा 3 द्वारा; संथाल परगना में संथाल परगनाज सेटिलमेंट रेगुलेशन, 1872 (1872 का रेगुलेशन सं० 3) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया है।

यह शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का अधिनियम सं० 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है; अर्थात् :—

हजारीबाग, लोहारङगा (अब रांची जिला; देखिए) कलकत्ता गजट, 1899, भाग 1,

पृष्ठ 44) और मानभूम जिले, तथा सिंहभूम जिले में परगना डालभूम और कोल्हान

लाहौर जिला

देखिए गजट आफ इंडिया

1881, भाग 1, पृष्ठ 504 ;

देखिए गजट आफ इंडिया

1886, भाग 1, पृष्ठ 301।

इसका विस्तार अंतिम कथित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा कोडुगू के अनुसूचित जिले पर, देखिए गजट आफ इंडिया, 1878, भाग 1, पृष्ठ 45, गंजम तथा विजगापटम में अनुसूचित जिलों पर, देखिए वही, 1889, भाग 1, पृष्ठ 720; पूर्वी गोदावरी अभिकरण, यल्लावरम तालुक, दुचरती तथा गुडितेरु मुत्ता पर, देखिए अधिसूचना सं० 110, तारीख 22 अप्रैल, 1927, फोर्ट सेंट जार्ज गजट, 1927, भाग 1, पृष्ठ 661 और दार्जिलिंग जिले पर, देखिए कलकत्ता गजट 1934, भाग 1, पृष्ठ 179, किया गया है।

इसे मुम्बई प्रेसिडेन्सी में, जिसे यह मूलतः लागू होता था, बाम्बे टोल्स ऐक्ट, 1875 (1875 का मुम्बई अधिनियम सं० 3) की धारा 1 द्वारा निरसित किया गया है और असम में, 1931 के असम अधिनियम सं० 3 तथा 1932 के असम अधिनियम सं० 1 द्वारा, म० प्रा० में 1932 के म० प्रा० अधिनियम सं० 8 द्वारा; और मद्रास में, 1938 के मद्रास अधिनियम सं० 6 और 1942 के मद्रास अधिनियम सं० 14 द्वारा संशोधित भी किया गया है।

यह अधिनियम 1858 के अधिनियम सं० 29 द्वारा मैसूर में निरसित।

1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में और 1968 के अधिनियम सं० 26 द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पाण्डिचेरी में इस अधिनियम का विस्तार किया गया।

1957 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5 द्वारा उत्तर प्रदेश को; 1975 के आंध्र प्रदेश अधिनियम सं० 17 द्वारा आन्ध्र प्रदेश को और 1978 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं० 18 द्वारा पश्चिमी बंगाल को यह अधिनियम लागू किए जाने के लिए संशोधित किया गया।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपांतरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के सपरिषद् गवर्नर” बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रान्तों के “सपरिषद् लेफ्टिनेन्ट गवर्नर तथा फोर्ट सेंट जार्ज प्रेसिडेन्सी के सपरिषद् गवर्नर” के स्थान पर प्रतिस्थापित। “और मुंबई प्रेसिडेन्सी के सपरिषद् गवर्नर” शब्द 1888 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा निरसित किए गए।

भारत के किसी प्रान्त में, जो धारा 1क में, विनिर्दिष्ट नहीं है और जिस पर इस अधिनियम तथा भारतीय पथकर अधिनियम, 1864 (1864 का अधिनियम सं० 15) का विस्तार किया जाए या किया गया है, प्रान्तीय सरकार का प्राधिकार वही होगा मानो वह प्रारम्भ से ही धारा 2 में विनिर्दिष्ट किया गया था। देखिए भारतीय पथकर अधिनियम, 1888 (1888 का अधिनियम सं० 8), धारा 2(1)।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपांतरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार के खर्चे पर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा “इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित दरों से अनधिक” शब्दों का लोप किया गया।

जिन्हें<sup>1</sup> [वह ठीक समझे]; और ऐसे पक्षकारों के संग्रहण को उन व्यक्तियों के प्रबन्ध के अधीन कर सकेगी जो [उसे] उचित प्रतीत हो; और ऐसे पक्षकारों के प्रबन्ध तथा संग्रहण में नियोजित सभी व्यक्ति वैसे ही उत्तरदायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे जिनके जिम्मेदार वे उस दशा में होते जब वे भू-राजस्व के संग्रहण में नियोजित होते।

**3. पथकर की वसूली की उनकी शक्तियाँ**—पथकर का संग्रहण करने के लिए नियुक्त अधिकारी, ऐसी दशा में, जब मांग की जाने पर, उक्त पथकर न दिया जाए, उन वाहनों या पशुओं में से किसी को, जिन पर वह पथकर प्रभार्य है, या उन पर लदी वस्तुओं के किसी ऐसे भाग को, जिसका मूल्य उस पथकर को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, अभिगृहीत कर सकेंगे; और यदि कोई पथकर, ऐसे अभिग्रहण के कारण हुए व्यय सहित, चौबीस घंटे तक चुकाया नहीं जाता है तो वह मामला उक्त पथकर के संग्रहण का अधीक्षण करने के लिए नियुक्त अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा, और वह अधिकारी, अभिगृहीत सम्पत्ति को, पथकर चुकाने और ऐसा पथकर न देने तथा ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के सम्बन्ध में हुए सभी खर्चों को चुकाने के लिए बेच सकेगा, और यदि कोई अतिशेष बचा रहेगा तो उसे, मांग की जाने पर, सम्पत्ति के स्वामी को वापस करा देगा; और उक्त अधिकारी, सम्पत्ति की प्राप्ति पर, तत्काल इस आशय की सूचना जारी करेगा कि वह उस सम्पत्ति को अगले दिन मध्याह्न को, रविवार या किसी बन्द अवकाश दिन को छोड़कर, नीलाम द्वारा बेचेगा ;

**अभिगृहीत सम्पत्ति का, शोध्य रकम दे देने पर, छोड़ा जाना**—परन्तु, यदि वस्तुतः विक्रय आरम्भ होने से पूर्व किसी भी समय, वह व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है, उपगत सभी व्ययों, तथा अपने द्वारा संदेय पथकर की दुगुनी रकम, दे दे तो उक्त अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति को तत्काल छोड़ देगा।

**4. पथकर के संदाय से छूट**—<sup>3\*\*\*</sup> कर्तव्यारूढ पुलिस अधिकारियों के, या उनकी अभिरक्षा में के किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के गुजरने पर कोई भी पथकर नहीं दिए जाएंगे, किन्तु इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत पथकर के संदाय से कोई अन्य छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

**5. पुलिस अधिकारियों द्वारा पथकर संग्राहकों की सहायता**—इस अधिनियम के निष्पादन में पथकर संग्राहकों की सहायता करने के लिए सभी पुलिस अधिकारी, जब अपेक्षा की जाए, तब आबद्ध होंगे; और उस प्रयोजन के लिए उन्हें वही शक्ति प्राप्त होगी जो उन्हें अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राप्त है।

**6. अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्ति । व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर । उसके वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति**—इस अधिनियम के अधीन पथकर संग्रह करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सड़क या पुल पर, या उस पर स्थित किसी बाजार से होकर गुजरने के लिए, कोई पथकर उद्गृहीत करेगा या मांगेगा, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी, जो विधिपूर्ण पथकर के अलावा कोई अन्य, या उससे अधिक, पथकर विधिविरुद्धतया तथा उद्घापन के तौर पर मांगेगा या लेगा, या इस अधिनियम का आभास देकर किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या विक्रय यह जानते हुए करेगा कि ऐसा अभिग्रहण या विक्रय विधिविरुद्ध है, या किसी भी रीति से किसी व्यक्ति से कोई धन या मूल्यावान वस्तु इस अधिनियम का आभास देकर विधिविरुद्धतया उद्घापित करेगा वह, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि छह कलेण्डर मास से अधिक की न होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का न होगा, दण्डनीय होगा, और जुर्माने का कोई भाग व्यथित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा दिलाया जा सकेगा; किन्तु इस उपचार के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह <sup>4\*\*\*\*</sup> किसी सिविल न्यायालय में वाद द्वारा प्रतितोष के उसके अधिकार का वर्जन करता है या उस पर कोई प्रभाव डालता है।

**7. पथकर-सारणी तथा शास्तियों के विवरण का प्रदर्शन**—किसी पथकर-द्वार या स्टेशन पर जिन पथकरों का लिया जाना प्राधिकृत है उनकी सारणी अंग्रेजी के एवं जिले की देशी भाषा के शब्दों और अंकों में सुपाठ्य रूप से लिख कर या मुद्रित करा कर उस द्वार या स्टेशन के निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, और उसके साथ पथकरों का संदाय करने से इन्कार करने तथा कोई विधिविरुद्ध पथकर लेने के लिए दी जाने वाली शास्तियों का विवरण वैसी ही रीति से लिखकर या मुद्रित कराकर, लगाया जाएगा।

**8. पथकर के आगमों का उपयोग**—इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत पथकर लोक राजस्व समझे जाएंगे <sup>5\*\*\*\*</sup>।

## अनुसूची

दि डिबोल्यूशन ऐक्ट, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपान्तरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “क्रमशः वे ठीक समझे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपान्तरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “उन्हें” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1901 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 तथा अनुसूची द्वारा “कूच के दौरान सैनिकों तथा सैनिक सामग्री और साज-सज्जा के गुजरने पर या” शब्द निरसित।

<sup>4</sup> 1876 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 तथा अनुसूची, भाग 1 द्वारा “जिले के” शब्द निरसित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपान्तरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “किन्तु उसके शुद्ध आगम उस प्रेसिडेंसी में सड़कों तथा पुलों के निर्माण मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाएंगे जिसमें वे उद्गृहीत किए जाते हैं” शब्दों का लोप किया गया।